न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीरीएगएस संख्या 2022/602

1 रामेश्वर पुत्र नन्चूराम
2 रामनिवास पुत्र प्रभाता
3 रतिराम पुत्र गूलाराम
4 श्योपाल पुत्र प्रभाता
समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम मंढा तहसील पावटा जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी, पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर राज0।
2 तहसीलदार, पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी पावटा हाल जिला कोटपूतली–बहरोड क्रमांक राजस्व/2022/922 25 दिनांक 24.05.2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022

उपस्थित–
1 श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्ट
2 राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–19.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 24.05.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा- 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मंढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 457, 458, 456, 451, 448, 449, 441, 438 कुल किता 08 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.05.2022 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्टस रामेश्वर पुत्र नन्दूराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 24.05.2022 अपीलांट्स की हद तक निरस्त कर प्रकरण दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति का सही अवलोकन करते हुये प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम गढा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 457, 458, 456, 451, 448, 449, 441, 438 कुल किता 08 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। खसरा नम्बर 457, 458 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी, पावटा ने अपीलान्ट्स खातेदारान् को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, पावटा द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया, ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में खातेदारो ने कोई सहमति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु कही भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान

संभागीय आयुक्त
जयपुर

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमे सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 24.05.2022 अपीलाट्स की हद तक निरस्त कर प्रकरण दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एव मौके की वस्तुस्थिति का राही अवलोकन करते हुये प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एव रथाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2022 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानो व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड उचित एव विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7 हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 07.10.2022 को प्राप्त होने से अपीलाट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स खसरा नंम्बर 457, 458 के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु अभिशंसा के आधार पर ही भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध मे अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। चूंकि खसरा नंम्बर 457, 458 के अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं एवं अपीलांट्स की खातेदारी खसरा नम्बर 457, 458 में से बिना अपीलाट्स को पक्षकार बनाये एवं बिना सहमति के रास्ता निकाला गया है जो कि अनुचित है। अपीलाट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस दिया और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया ना ही अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध मे किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से अपीलांट की हद तक खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड का निर्णय दिनांक 24.05.2022 अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर रिकार्ड व मौके का सही अवलोकन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(रश्मि गुप्ता) युक्त
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर